महत्वपूर्ण एवं खास

ब्लैकमेलिंग करने वाला फेसबुक फ्रेंड गिरफ्तार

» युवती की अश्लील तस्वीरें उसके पति को भेजने की बात कहकर डराता था आरोपी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर में 31 वर्षीय युवती द्वारा कराया गया कि बिलासपुर के मनोज कुमार मिंज से जून 2018 में फेसबुक से परिचय हुआ दोनों के बीच दोस्ती दौरान मनोज मिंज एक आपत्ति जनक फोटो लिया था उसी फोटो को इसके पति को बता दुंगा कहकर ब्लेक मेलिंग कर 20,000 रूपये की मांग करता था । युवती के टाल मटोल करने पर मनोज मिंज ने युवती के दीदी को अश्लील फोटो भेज दिया। युवती के रिपोर्ट पर थाना कोसीर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र 167/18 धारा 509 आईपीसी 66,67,68 आईटी एक्ट. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी लम्बे समय से गिरफ्तारी के भय से लुक छिप रहा था। आरोपी मनोज कुमार मिंज पिता एडमोन मिंज उम्र 27 साल निवासी गुरूघासी दास विश्व विद्यालय सुरक्षा गार्ड पंजाब नेशनल बैंक के सामने कोनी को दिनांक 28.09.19 को कोसीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

देवी दर्शन करने चन्द्रपुर जा रही यात्री बस कोड़ातराई के पास दुर्घटनाग्रस्त, 35 लोग घायल

न्याय साक्षी/रायगढ़। बिलासपुर, रायपुर, मुंगेली क्षेत्र के करीब सैकड़ों लोग 15 दिन पूर्व एमपी के तीन बस में सवार होकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकले थे। वे मथुरा, वृंदावन सहित अन्य धार्मिक स्थलों से दर्शन करके 28 सितंबर को शहर के कोतरारोड थाना क्षेत्र स्थित कोसमनारा बाबाधाम दर्शन करने आए थे। जहां से दो बस शाम में ही निकल गई, लेकिन एक बस खराब होने से उसे बनने में देरी लगी। बस के बनने के बाद रात करीब 11 बजे 70 तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस चन्द्रपुर देवी दर्शन करने जाने के लिए निकली थी। रात करीब 12 बजे जैसे ही बस कोड़ातराई पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो चालक को झपकी आ गई। ऐसे में चालक ने वाहन से अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से जा टकराई।

मोबाईल व वाईफाई चोरी के मामले में पांच आरोपी को बरमकेला पुलिस ने किया गिरफ्तार

मोबाईल दुकान के स्टाफ ने ही अपने साथियों से करायी थी पार्सल की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। बरमकेला बस स्टैण्ड पर संचालित मोबाईल दुकान के संचालक प्रमोद गोयल पिता बनारसी दास गोयल उम्र 38 वर्ष साकिन बरमकेला द्वारा दिनांक 08.09.19 को थाना बरमकेला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.09.19 को सारंगढ बंसल ट्रेडर्स द्वारा 03 नग मोबाइल एवं 04 नग जियोफाई पार्सल बनाकर गीतांजली बस में बरमकेला बस स्टैण्ड भेजा गया था। दिनांक 04.09.19 को दोपहर करीबन 2 बजे प्रमोद गोयल अपने दुकान के स्टाफ पिताम्बर मालाकार को बरमकेला बस स्टैड पार्सल लेने भेजा जो वापस दुकान आकर अपने मालिक को बताया कि गीतांजली बस के ड्रायवर से कोई अज्ञात व्यक्ति पार्सल ले गया है । प्रार्थी प्रमोद गोयल द्वारा पार्सल चोरी की रिपोर्ट थाना बरमकेला में दर्ज कराने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में अप.क्र. 162/19 धारा 379 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। चोरी के प्रकरण की विवेचना थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल द्वारा की जा रही थी जिनके द्वारा माल मुल्जिम की बरामदगी के लिये मुखबिर सक्रिय कर प्रमोद गोयल के स्टाफ पर भी निगाह रखा जा रहा था कि मुखबिर द्वारा मोबाईल दुकाल के स्टाफ पिताम्बर मालाकर की गतिविधियां संदिग्ध होने की जानकारी दिया जिस पर पिताम्बर मालाकार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे सारंगढ़ से बस के जरिये पार्सल आने की जानकारी थी और उसने अपने साथी जीतराम पटेल, महेश साहू के साथ चोरी का प्लान बनाया और अपने दोनों साथियों से पार्सल की चोरी कराया फिर मोबाईल को अपने परिचित नेपाल व तुलाराम पटेल को बेच दिया था। आरोपी पिताम्बर के कबूलनामे के बाद चोरी करने वाले चोरी की सम्पत्ति खरीदने वाले इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया।

चोरी के इस प्रकरण में आरोपी 1. जीतराम पटेल पिता करमू पटेल 25 साल 2. पितांबर मालाकार पिता नित्यानंद मालाकार उम्र 20 साल 3. नेपाल पिता गुरु चरण उम्र 30 साल 4. तुलाराम पटेल पिता झालो राम पटेल उम्र 20 साल सभी निवासी जामपाली थाना सरिया एवं 5. महेश साहू पिता नारद साहु उम्र 24 साल निवासी थाना बरमकेला को दिनांक 28.09.19 को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी की 03 नग मोबाइल तथा 04 वाईफाई जुमला कीमती करीब रू. 35,000 का सामान बरामद किया गया है। आरोपियों को आज दिनांक 29.09.19 को रिमांड पर भेजा गया है।

रेलवे सेफ्टी आयुक्त ने किया राबर्टसन-भूपदेवपुर-किरोड़ीमलनगर तीसरी लाइन का निरीक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे द्वारा विगत कुछ वर्षों मे अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े अनेक कार्य तीव्र गति से की जा रही है। इसके लिए अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूरदराज के क्षेत्रों मे जहाँ अब तक रेल की पटरी नही पहुंच सकी है वहां भी रेल लाईन बिछाने का कार्य लगातार कर रही है, साथ ही आवश्यकतानुसार नई रेल लाईन, दोहरी लाईन, तीसरी लाईन एवं चैथी लाईन का कार्य भी मंडलो के दूरदराज के क्षेत्रों मे युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। इसी कडी में बिलासपुर मंडल के अंतर्गत राबर्टसन-भुपदेवपुर-किरोडीमलनगर स्टेशनों के मध्य 18.2 किमी नई तीहरीकरण लाइन का सम्पूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है। लाइन बिछाने के साथ ही साथ मुख्य लाइन से जोडने तथा सभी विभागीय कार्य पूरा होने के पश्चात् आयुक्त रेलवे सेफ्टी द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा उनकी अनुमति के उपरांत लाइनों पर गाडियों का परिचालन प्रारंभ होता है। इस कार्य के पूर्ण होते ही चांपा-झारसुगडा के मध्य 99 किमी तीसरी लाइन कार्य की चरण पूरी हो जाएगी। नई लाइन पर यातायात प्रारंभ होने से सवारी गाडियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी।

इसी संदर्भ में एसई सर्कल के आयुक्त, रेलवे सेफ्टी ए.के.राय निरीक्षण दल के साथ आज उक्त लाइन का निरीक्षण के लिए राबर्टसन पहुंचे। उन्होंने उक्त नई लाइन के संबंध में अधिकारियों से गहन चर्चा की। चर्चा उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम राबर्टसन-भुपदेवपुर तथा भुपदेवपुर-किरोडीमल तीसरी नई लाइन का मोटर ट्राली से निरीक्षण किया। मोटर ट्राली निरीक्षण पश्चात् उन्होंने किरोडीमल से राबर्टसन तक आब्जर्वेशन कार से स्पीड ट्रायल किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिचालन एवं संरक्षा से जुडे सभी पहलुओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे काफी सहज दिखे तथा निरीक्षण सराहनीय रहा। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस लाइन पर गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा।

महिला को दहेज प्रताड़ना, पति, सास व जेठ पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ में एक विवाहिता महिला द्वारा अपने पति, सास और जेठ के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीड़ित महिला ने बताया कि सारंगढ़ के ग्राम हरदी के लखन डेविड के साथ अपैल 2017 में विवाह हुआ है। शादी के पांच माह बाद इसका पति एवं सास और जेठ के द्वारा दहेज में मोटर सायकल नहीं लायी हो कहकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये हैं। पीडिता ने यह भी बताया कि जुलाई 2018 में थाना सारंगढ में ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर पारिवारिक सलाह केन्द्र रायगढ़ में काउंसिलिंग हुआ था, जिसमें मेरे पति उपस्थित हुए थे, पति द्वारा मारपीट नहीं करूंगा कहकर मुझे मेरे ससुराल ले गया, ससुराल में साल भर तक सास, जेठ के द्वारा मोटर सायकल नहीं लाये हो कहकर बीच बीच में मारपीट करते रहे और दिनांक 07.09.2019 को रात करीब 8 बजे पति शराब पीकर आया और गाली गलौच एवं मारपीट किया, इस बीच मेरी सास एवं ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा बीच-बचाव नहीं किये उसके विपरीत मुझे मारपीट किये। पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी लखन डेविड, मोतिन बाई और परमेश्वर डेविड के विरूद्ध अप.क्र. 462/19 धारा 498(ए),323,34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक नीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480